New Man International Journal of Multidisciplinary Studies
(UGC Approved Journal No. 45886)
ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

30.

वंचित समूह श्रम बाज़ार की समस्याएं एवं चुनौतियां: एक नूतन विमर्श

धीरेन्द्र सिंह

शोध छात्र
प्राचीन इतिहास संस्कृति, एवं पुरातत्व विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

चुंकि भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी तक गांवों में रहकर खेती में परिवारों की मदद करती है, उन्हें कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में उत्पाद, वित्त एवं श्रम बाज़ार के अनुरूप कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। 2001 में विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) यूथ इंप्लायमेंट नेटवर्क ने युवाओं के रोज़गार के लिए रोजगारपरकता, सभी के लिए समान अवसर, उद्यमशीलता एवं रोजगार सृजन को प्राथमिकता का क्षेत्र बताया था। वर्ष 2000 में आईएलसी के प्रस्ताव ने संकेत किया था कि व्यक्तियों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता उस समय सर्वाधिक होती है, जब उनके पास व्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण, टीमवर्क, समस्या समाधान, आईसीटी, साक्षरता एवं गणना समेत बुनियादी एवं संवहनीय कौशल होते हैं। ये कौशल रोजगार प्राप्त करने की योग्यता बढ़ा देते है। इससे महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि होगी और कम पारिश्रमिक वाले काम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन पर रोक लगेगी। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे और बाल श्रमिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता तथा कौशल के निम्न स्तर के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में कम पारिश्रमिक वाले काम करने के लिए विवश होते हैं। गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना और अच्छी नौकरी पाने में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लाभ के बारे में बच्चों तथा माता–पिता को समझाना एक चुनौती है। शिक्षा में वंचित रहने की बात करें तो श्रम बाज़ार में प्रवेश करने वाले 30 प्रतिशत केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होते हैं। मूलभूत शिक्षा प्राप्त श्रमशक्ति में केवल 30 प्रतिशत ने माध्यमिक अथवा उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त की होती है। आठवीं और माध्यमिक स्तर के दौरान लडकों और लड़कियों की शिक्षा छोड़ने की तीव्र दर से स्थिति और जटिल हो जाती है। यूडीआईएसई के आंकडों (2013–14) के अनुसार 20 प्रतिशत लोग पांचवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और 47.4 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले निकल जाते हैं।

क्षेत्रवार बात करें तो 48 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में केवल 16 प्रतिशत योगदान है, जिससे पता चलता है कि उत्पादकता का स्तर कम है और रोजगार कम है अथवा नहीं है। कृषि क्षेत्र में भी अधिकतर अपना काम कर रहे हैं इसके अलावा बढ़ी आबादी कम मज़दूरी वाले गैर–विनिर्माण क्षेत्र अर्थात निर्माण में लगी है। शिक्षा में वंचित रहने की बात करें तो श्रम बाज़ार में प्रवेश करने वाले 30 प्रतिशत केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होते हैं। मूलभूत शिक्षा प्राप्त श्रमशक्ति में केवल 30 प्रतिशत ने माध्यमिक अथवा उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त की होती है। आठवीं और माध्यमिक स्तर के दौरान लडकों और लड़कियों की शिक्षा छोड़ने की तीव्र दर से स्थिति और जटिल हो जाती है। यूडीआईएसई के आंकडों (2013–14) के अनुसार 20 प्रतिशत लोग पांचवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और 47.4 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले निकल जाते हैं। शिक्षा के इस निम्न स्तर से कौशल का स्तर भी निम्न होता है। औपचारिक कौशल के साथ श्रमशक्ति में केवल 3 प्रतिशत लोग आ रहे हैं और श्रम बाज़ार में 7 प्रतिशत लोग अनौपचारिक रूप से कौशल प्राप्त करते हैं। (ईयूएस 2011–12)। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रम शक्ति के 90 प्रतिशत हिस्से के पास कौशल आधारित व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल ही नहीं है। औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में महिलाओं (27.9 लाक्ष) का अनुपात पुरूषों (86.3 लाख) की अपेक्षा बहुत कम है। अनौचारिक प्रशिक्षण में भी ऐसा ही है।

श्रमिक कम पारिश्रमिक वाले काम करने लगते हैं और वहीं काम सीखते हैं। प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को औपचारिक स्कूल शिक्षा से जोड़ना ताकि युवा काम की दृष्टि से आवश्यक कौशल सीखने के लिए स्कूल में रूकें, वास्तव में चुनौती है। स्कूली शिक्षा छोड़ने वालों में लड़कियों का अनुपात लड़कों की अपेक्षा अधिक है। क्योंकि महिला शिक्षक, छात्रावास एवं परिवहन सुविधायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। कौशल कार्यक्रम उन उद्योगों के हिसाब से बनाऐ जाते हैं। महिलाओं को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने और बेहतर प्रतिभागिता के लिए समय के मामले लचीले पाठ्यक्रम तैयार करने की चुनौती है। युवा अधिक संवेदनशील देखे गये हैं। एनएसएसओ ईयूएस 2011–12 के अनुसार सभी आयु वर्गों में पुरूषों की बेरोजगारी दर 2.4 प्रतिशत और महिलाओं की 3.7 प्रतिशत थी, जबकि युवाओं (15–29 वर्ष) में यह दर विभिन्न श्रेणियों में 6.1 प्रतिशत से 15.6 प्रतिशत के बीच थी। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 15.6 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक थी। इसका कारण पारिवारिक सहारा ही हो सकता था और अच्छे अवसरों की कमी अथवा सामाजिक बंधनो के कारण भी वे बेरोजगार हो सकती थीं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में भी संभवतः उपलब्ध रोजगार एवं अपेक्षाओं में भारी अंतर के कारण 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में भी संभवतः उपलब्ध रोजगार एवं अपेक्षाओं में भारी अंतर के कारण 15 से 19 वर्ष की उम्र वाले समूह के लिए स्थिति बहुत खराब हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक युवा कृषि में लगे हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में 1999 से वैश्विक स्तर पर प्रारंभ 'ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर' (जी.ई.एम.) के 2014 में हुए 16वें अध्ययन में 73 देशों की अर्थव्यवस्थाओं, विश्व की 72.4 प्रतिशत जनसंख्या एवं 90 प्रतिशत जीडीपी को शामिल किया गया। 2014 में हुए अध्ययन में पूरे विश्व से कुल 2,06,000 व्यक्तियों एवं 3,936 विशेषज्ञों की राय ली गई। यह उद्यमिता के क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे बड़ा अध्ययन है। यह उद्यमिता के प्रति व्यक्तियों की अभिव्यक्ति, उद्यम की स्थापना के विभिन्न चरणों में सक्रियता, आत्मविश्वास आदि का मापन करता है। यह अध्ययन विभिन्न देशों में उद्यमिता सक्रियता में अंतर, इसका देश के आर्थिक विकास से संबंध, किसी देश की जनसंख्या को उद्यमी बनाने संबंधित गुणों का पता लगाने का प्रयास है। इसमें उद्यमिता सक्रियता व्यक्तियों की स्वयं की अभिप्रेरणा, सक्रियता, कौशल द्वारा उपलब्ध अवसरों की पहचान, उपयोग एवं संबंधित वातावरणीय कारकों का परिणाम के रूप में परिभाषित है।

वंचित बच्चों को यदि कार्यात्मक रूप से साक्षर एवं गणना योग्य बनाने के लिए स्कूलों में रोका जा सके तो उनके रोज़गार की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए सब्सिडी, विशेष प्रीस्कूल कार्यक्रम और स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान के रूप में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। निःशक्त लोगों को भी श्रम बाज़ार में प्रवेश करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, कार्यस्थल अथवा काम की प्रकृति और निःशक्तों के बारे में नियोक्ता के दृष्टिकोण जैसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रमुख पक्ष अर्थात स्वयं निःशक्त व्यक्ति, सरकार, नियोक्ता एवं गैर सरकारी संगठनों को चुनौतियों एवं प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जो भारत में निःशक्त वर्ग के लिए प्रशिक्षण के बाद नजर रखने, युवाओं को स्व–रोजगार के लिए तैयार करने हेतु उद्यमशीलता प्रशिक्षण को तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने, उत्पाद, वित्त तथा रोज़गार बाज़ार से संपर्क के रूप में सहायक ढ़ांचा उपलब्ध कराने, श्रम बाजार की जानकारी एवं राष्ट्रीय कैरियर सेवा तैयार करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने की चुनौती है। उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि स्थान, भूगोल, लिंग, सामाजिक एवं धार्मिक समूहों, शिक्षा तथा कौशल के निम्न स्तरों के लिहाज़ से लक्षित समूहों की विविधता देखते हुए कौशल विकास की चुनौती बहुत जटिल है। तीव्र आर्थिक वृद्धि एवं बदलती प्रौद्योगिकी के कारण युवाओं को सम्मानजनक रोज़गार प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने की आवश्यता है। इसके कारण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता खड़ी होती है, जो सामाजिक–आर्थिक स्थिति, लिंग, भौगोलिक स्थितियों, बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाओं से ही निर्धारित होंगें।

माता–पिता को भी आय की सुरक्षा के लिए मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपायों के माध्यम से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उन उपायों से माता–पिता अपने बच्चों को स्कूलों में रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उन्हें आजीविका कमाने के लिए नहीं भेजेंगे। किन्तु उनके क्रियान्वयन पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने की

आवश्यकता है कि बच्चे कक्षाओं में बैठ रहे हैं। इसके लिए उन बच्चों पर नज़र रखने और उन्हें उचित परामर्श देने की आवश्यकता होती है, जो संभवतः स्कूल छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। दुर्गम स्थानो में रहने वालों तक पहुंचने के लिए सुदूर शिक्षा और ई–लर्निंग का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें कम से कम बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। नेशलन इंस्टीट्यूट फार ओपन स्कूलिंग आईओएस (विस्तार) इस दिशा में कदम है। स्कूल में दूसरा अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। प्रथम ने इस दिशा में पहल की है। प्रथम ओपन स्कूल ऑफ एजुकेशन (पोज) कार्यक्रम स्कूल छोड़ चुकी कन्याओं और महिलाओं को माध्यमिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने और साथ में रोजगार के अधिक योग्य बनाने के लिए जीवनोपयोगी कौशल पर्याप्त करने में सहयोग करता है तथा स्कूल छोड़ने की घटनाएं रोकने के लिए कार्यक्रमों का उपयोग करता है। ऐसे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

कई सामाजिक एवं जातीय समूह शिक्षिकाओं की कमी के कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। शिक्षकों की बहुत कमी है और जनसांख्यिकीय लाभ वाले राज्यों में तो कमी और भी है। उन राज्यों मे समस्या और भी अधिक है, जहां से जनसांख्यिकीय लाभांश उपलब्ध होता है। सीखने का अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। भारत में 11 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षक वाले स्कूल हैं और शिक्षकों की रिक्तियां बनी हुई हैं। सभी क्षेत्रों मे समान रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है।

कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने से बच्चे स्कूल में बने रहने और काम के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे प्रशिक्षु प्रशिक्षण को औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। छोटे उद्यमों की अत्यधिक संख्या देखते हुए और यह देखते हुए कि जनसांख्यिकीय लाभांश का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है, हाल ही में आरंभ की गई अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना शिक्षा को कामकाजी दुनिया से जोड़ने में बहुत मदद करेगी। छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। चूंकि प्रशिक्षण की आवश्यकताएं प्रत्यके देश में अलग होती हैं और सीखने के स्तर भी अलग होते है, इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जो लक्षित समूह और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों की आवश्यकताएं पूरी करे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समन्वय करने और उन पर नज़र रखने की आवश्यकता है ताकि एक ओर तो ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, लिंग और आर्थिक विविधता संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर सकें और दूसरी ओर उद्योग की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें। विशेषतः दुर्गम क्षेत्रों अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जहां से लोग बाहर नहीं जाना चाहते, स्थानीय उद्योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के रूप में 2013 में लाए गये व्यवस्थागत सुधार सामान्य प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा को समग्र व्यवस्था के रूप में एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। श्रम बाज़ार व्यवस्था, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय कैरियर सर्वेक्षण आरंभ में बहुत सुधार होगा।

चुंकि 84 प्रतिशत लोगों को असंगठित क्षेत्र में और शेष को संगठित अथवा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिला है, इसलिए अनौपचारिक प्रशिक्षण की रूपेरखा नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में श्रमिकों के कौशल स्तर का प्रमाणन किया जा सके। शिक्षा और कौशल का निम्न स्तर लोगों को सम्मानजनक रोजगार नहीं प्राप्त करने देता। उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला आवश्यक कौशल हो सकता है, लेकिन प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण वे अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते अथवा उद्यम आरंभ नहीं कर पाते।

बनारस, चिकनकारी, छत्तीसगढ़ के धातु कारोबार और पूर्वोत्तर में शिल्पकारों तथा दस्तकारों के पास कौशल हो सकता है किन्तु प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण उन्हें अकुशल की श्रेणी में डाल दिया जाता है। आरपीएल योजना को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अनापैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संगठनों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संगठनों को इसमें सहभागी बनाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों के कौशल विकास, रोजगार सुधारने तथा अधिक उत्पादकता के लिए उनकी सहभागिता में आने वाली बाधाएं दूर करने की आवश्यकता है। उड़ान, हिमायत,

परवाज़, नई रोशनी, स्टेप अप जैसी लक्षित योजनाओं ने युवाओं की रोजगार संबंधी योग्यता पर प्रभाव डाला है। ऐसी लक्षित योजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण को रोजगार एवं आय सृजित करने वाले अवसरों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होता।

दुर्गम क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे कठिनाई भरे क्षेत्रों (वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित, पहाड़ी, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों) तक पहुंच बढ़ेगी। इसके लिए प्रशिक्षण के सभी अवसरों और बुनियादी ढांचे जैसे सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज का उपयोग किया जा सकता है।

हितधारकों की सक्रिय सहभागिताः कौशल की चुनौती बहुत बड़ी है और उसके लिए सभी हितधारकों की सहभागिता की आवश्यकता है। रोजगार संबंधी योग्यता की समस्या सुलझाने के लिए सामाजिक साझेदारों विशेषकर नियोक्ताओं की सहभागिता आवश्यक है।

पाठ्यक्रम तैयार करने, क्रियान्वित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी में उनका सहयोग होना चाहिए। यद्यपि क्षेत्र विशेष की कौशल परिषद उद्योग के प्रतिनिधित्व वाली संस्थाएं हैं और कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं में सहायता कर रही हैं, लेकिन वे मूल रूप से संगठित क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं।

वंचित समूह की समस्याएं एवं चुनौतियां

आईएलओ की जीवन चक्र प्रणाली संकेत देती है कि जोखिमों और खामियों को कम उम्र में ही सुलझानाा आवश्यक है ताकि सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने में लोगों की मदद की जा सके। चुंकि भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी तक गांवों में रहकर खेती में परिवारों की मदद करती है, उन्हें कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में उत्पाद, वित्त एवं श्रम बाज़ार के अनुरूप कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि होगी और कम पारिश्रमिक वाले काम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन पर रोक लगेगी। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे और बाल श्रमिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता तथा कौशल के निम्न स्तर के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में कम पारिश्रमिक वाले काम करने के लिए विवश होते हैं। गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना और अच्छी नौकरी पाने में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लाभ के बारे में बच्चों तथा माता–पिता को समझाना एक चुनौती है।

है। आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक और निःशक्त समूहों के लिए छात्रवृत्ति के कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि स्कूलों में इन समूहों के छात्रों की सहभागिता बढ़े और वे बुनियादी शिक्षा पूरी करें। इसके अलावा विभिन्न समूहों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति/फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ाने, समुदाय की सहभागिता बढ़ाने और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाने के प्रयास शिक्षा एवं प्रशिक्षण गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता सुधारने के लिए किये जा रहे हैं। किंतु ट्रेड को व्यापक बनाने और समुदायों तथा शिक्षकों को लैंगिक आधार पर व्यावसायिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

सरकारी स्तर पर संगठित श्रम के लिए तो ईएसआई, पीएफ सहित अन्य सुविधाएं हैं, असंगठित श्रम के लिए भी इस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान आवश्यक है। मजबूरी में व्यक्तिगत प्रावधान आवश्यक है। मजबूरी में व्यक्तिगत स्रोतों को अधिक ब्याज पर मिले ऋण के कारण लाभांश कम होता है या हानि होती है। फलस्वरूप उद्यमों में असफलता के कारण नकारात्मक माहौल से उद्यमों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। ऋण संबंधित योजनाओं की उचित जानकारी, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज एवं सही समय पर ऋण की पर्याप्त उपलब्धता, असंगठित श्रमिकों पर केन्द्रित बीमा योजनाएं, उद्यम स्थापना की जोखिम से निपटने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, संसाधन, बेरोजगारी भत्ता आदि द्वारा असंगठित श्रमिकों की समस्याओं को कम किया जा सकता है। एशियन विकास बैंक (2008) के अनुसार केवल बुनियादी शिक्षा बढ़ती प्रतिस्पर्धा में पर्याप्त नहीं है। युनेस्को (2005) ने भी युवाओं को

कार्यक्षेत्र और बेहतर जीवन के लिए तैयार करने हेतु माध्यमिक शिक्षा में सुधार को आवश्यक बताया। इसके लिए वांछित कौशलों जैसे प्रायोगिक कौशल, सूचना एवं संचार तकनीकी का समावेश, उद्यमिता कौशल विकास आदि को महत्वपूर्ण बताया। इसीलिए भारत में एक ऐसे शिक्षा तंत्र की आवश्यकता है जिसमें कौशल विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। बिना माध्यमिक शिक्षा के यदि विद्यार्थी सीधा व्यावसायिक कौशल प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे अकादमिक विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। (होजिला 2012)

References

- Planning Commission, Tenth Five Year Plan (2002-07), Government of India, New Delhi
- Planning Commission (2007), Report of the Taskforce on Skill Development, Government of India, New Delhi, May
- Planning Commission (2008), Eleventh Five Year Plan (2007-12), Government of India, New Delhi
- World Bank (2006), Skill Development in India – The Vocational Education and Training System, Human Development Unit, South Asia Region, January 2006
- DGET (Various Years). Annual Report. Report of the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, India.
- ILO (2003), Industrial Training Institutes of India: The Efficiency Study Report, Geneva India Labour Report 2008
- Ministry of Human Resource Development (2008-09) Annual Report, Government of India, New Delhi
- Prof. M.K. Ghadoliya – "Empowering Women Through Self Help Groups : Role of Distance Education" , July 03 , 2013
- Robert Jensen and Emily Oster – "The Power of TV : Cable Television and Women Status in India" September 23 . 2008
- इंप्रूविंग स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप–डेविड एच फीडमैन, 2008
- रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011–12
- रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011–12
- निःशक्तता मामलों का विभाग, भारत सरकार
- यूथ अनइंप्लॉयमेंट इन इंडिया, सीआईआई इकनॉमी मैटर्स
- इंप्रूविंग स्किल्स एंड प्रोडक्टीविटी ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, आईएलओ वर्किंग पेपर

❑❑❑